न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल म•प्र• ग्वालियर

COURT FEE INDIA भारत एक रुपया ONE RUPEE

अरुणेन्द्र कुमार चौरसिया एड.
द्वारा आज दि० 14-12-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निग० 1942-I/07

1• श्री मती श्रीनिवास देवी सिंह बेवा पत्नी स्व0 श्री लाल कमलेश्वर सिंह, उम्र 80 साल, निवासी रघुराजमार्ग घोघर रीवा जिला रीवा म•प्र•

2• भगत सिंह
3• अनिल कुमार सिंह,
4• सज्जन सिंह,
5• प्रसन्न सिंह,
6• कमला सिंह
7• उमा सिंह,
8• करुणा सिंह,

सभी के पिता स्व0 श्री कमलेश्वर सिंह, सभी निवासी रघुराजमार्ग घोघर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म•प्र•

---------- निगरानी कर्ता गण

बनाम

1• रामाधार सिंह तनय कन्हई सिंह,
2• उभयपाल सिंह तनय राजाराम सिंह,
3• मणिराज सिंह तनय राजाराम सिंह,
4• शोभनाथ सिंह तनय कन्हई सिंह, सभी निवासी ग्राम देवमउ दलदल उपाध्याय टोला, बस स्टेन्ड के पास - तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म•प्र•

------ गैरनिगरानी कर्तागण

5• म•प्र• शासन

पुनरीक्षण विरुद्ध द्वितीय अपील श्री मान अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 477अ/93-94 मे पारित आदेश दिनांक 23•10•07,

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•सं• ।

A.K. Chaurasiya Ad.
14/12/07

मान्यवर,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1942-पीबीआर/2007 जिला सतना

श्रीनिवास विरूद्ध रामाधार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-04-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक अभिभाषक श्री बीरेन्द्र सिंह उपस्थित । उन्होनें आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 दिनांक 24-01-18 को स्वीकार किये जाने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की है । इस संबंध में अनावेदक ने दिनांक 24-01-18 को मय शपथ पत्र उत्तर प्रस्तुत किया है । जिसका अवलोकन किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में लेख किया गया है कि उसे दिनांक 10-07-17 को पेशी में उपस्थित होने पर जब प्रकरण का अवलोकन किया तब आवेदक क्रमांक 4 सोभनाथ की मृत्यु हो चुकी थी । आवेदक का यह कथन इसलिये विश्वसनीय नही है, क्योंकि आदेश पत्रिका दिनांक 10-09-16 को यह तथ्य प्रकरण में आ चुका है कि अनोवदक क्रमांक 4 की मृत्यु दिनांक 09-07-16 को हो चुकी है । इसके बावजूद आवेदक का यह कहना कि उसे मृत्यु की जानकारी 10-07-17 को हुई, मान्य नहीं किया जा सकता और न ही किसीआधार पर धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन मान्य योग्य है । अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 का आवेदन अमान्य किया जाता है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अनावेदक क्र. 4 के संबंध में उपसमित की जाती है। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	